प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 771 / 1996

अपीलार्थी : दीपक कुमार मिश्रा

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़)

उपस्थित:- श्री सुरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री अजीत सिंह, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री अजय द्विवेदी, उप-शासकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य/प्रत्यर्थी।

(निर्णय)

(दिनांक 10 अगस्त, 2011 को उद्घोषित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा

1. वर्तमान दांडिक अपील में, अपीलार्थी ने धारा 304-ख भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपने दोषसिद्धि और 5 वर्ष के कठोर कारावास के दंडादेश की वैधता एवं शुद्धता को चुनौती दी है।

2. मृतका आरती मिश्रा उर्फ रमा बाई ने दिनांक 24-2-1993 को अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका का विवाह अपीलार्थी से दिनांक 1-7-1988 को सम्पन्न हुआ था और दिसंबर 1990 में उनकी बेटी का जन्म हुआ था।

3. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि, मृतका अपने ससुर, सास, ननद और अपने पति के साथ अपने ससुराल में रह रही थी। हालांकि, विवाद के चलते अपीलार्थी और मृतका दिसंबर 1991 से कछारीपारा, कवर्धा में पृथक से रहने लगे। दहेज की मांग को लेकर मृतका के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया। शादी के दो महीने बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई और दहेज की मांग उसकी मां मिथिलेश बाई (आ.सा.-1) और उसके भाई (अपीलार्थी के बहनोई) राम प्रकाश दुबे (आ.सा.-2) से की गई।

4. विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र पेश किया गया और विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अंतर्गत एवं2 वैकल्पिक रूप से धारा 306 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियोजन पक्ष ने आरोप को प्रमाणित करने के लिए 14 साक्षियों का परीक्षण कराया। अपीलार्थी ने स्वयं को निर्दोष होना बताया, हालांकि, उसने किसी बचाव साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख अथवा धारा 306 के अंतर्गत आरोप सिद्ध नहीं होता है और अभियोजन पक्ष आरोप को प्रमाणित करने के लिए कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य पेश करने में पूरी तरह विफल रहा है। उनके अनुसार, दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी और मृतका द्वारा लिखे गए पत्रों से यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि उसे अपनी सास से कुछ समस्याएं थीं तथा अपीलार्थी उसकी मृत्यु के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि मृतका को अपीलार्थी पर शक था कि उसका रागिनी नाम की किसी महिला के साथ विवाहेतर संबंध था और यह आत्महत्या करने का तात्कालिक कारण हो सकता है, हालांकि, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख अथवा धारा 306 के अंतर्गत अपराध की श्रृंखला में नहीं आते है। साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभासों और विलोपन की ओर विस्तार से इंगित हुए, उन्होंने यह तर्क दिया कि यदि यह पाया भी जाता है कि व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ मांग की गई थी, तब भी इसे मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग नहीं माना जा सकता है और इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख अथवा धारा 306 के अंतर्गत अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद नहीं हैं। उन्होंने अपीलार्थी के दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त करने की प्रार्थना की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. यह विवादित नहीं है कि मृतका ने दिनांक 24-2-1993 को मिट्टी तेल डालकर खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली और यह मृत्यु शादी के 7 वर्ष के भीतर हुई है। अतः, इस न्यायालय को साक्ष्यों का अवलोकन करना और यह जांच करना आवश्यक है कि क्या मृत्यु दहेज की मांग का परिणाम थी, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अंतर्गत अपराध गठित करता हो। विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया है कि मृतका कुक्कुट पालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए 35,000/- रुपये की मांग कर रहा थी, हालांकि, आ.सा.-1 ने मात्र 5,000/- रुपये ही दिए। इसके अलावा, मृतका के साथ अन्य प्रकार का

दुर्व्यवहार/क्रूरता भी किया गया थी, अतः, भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अंतर्गत आरोप सिद्ध होता है।

7. अब यह न्यायालय अपीलार्थी द्वारा की गई मांग के संबंध में साक्ष्यों का परीक्षण करेगा और यह देखेगा कि क्या यह दहेज की मांग की श्रेणी में आता है और क्या उक्त मांग 'मृत्यु से ठीक पहले' की गई थी।

8. आ.सा.-1 मिथिलेश बाई मृतका की माँ हैं। अपनी मुख्य परीक्षण में उसने कथन किया है कि अपीलार्थी की माँ ने अपीलार्थी द्वारा कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000/- रुपये की मांग की थी। उसने कथन किया है कि 'ननद' और 'सास' यह कहते थे कि वह पर्याप्त रकम नहीं लाई है और अभियुक्त कहता था कि मृतका को अपनी सास के बातों के अनुसार चलना चाहिए। उसने आगे कथन किया है कि लगभग 4 वर्ष पूर्व, अपीलार्थी ने कुक्कुट पालन का व्यवसाय शुरू करने हेतु 35,000/- रुपये की मांग की थी, हालांकि, वह केवल 5,000/- रुपये ही दे सकीं थी। इस साक्षी का परीक्षण दिनांक 21-12-1993 को हुआ था और इस तिथि से 4 वर्ष पूर्व की अवधि का अर्थ यह होगा कि कुक्कुट पालन व्यवसाय शुरू करने हेतु 35,000/- रुपये की मांग नवंबर या दिसंबर 1989 में की गई थी। इस साक्षी के अनुसार, उसकी बेटी ने मृत्यु से लगभग 8 दिन पहले उसे बताया था कि घर लौटने के बाद, उसका पति उससे पूछता है कि क्या उसने खाना खा लिया है और जब वह कहती है कि वह पति के खाना खाने के बाद खाना खाएगी, तो वह अपना खाना खा लेता है और उसके बाद बचे हुए खाने पर पानी डाल देता है। जब इस साक्षी का प्रति-परीक्षण शुरू किया गया, तब बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने उसके केस डायरी कथन की प्रति मांगी, जिस पर विचारण न्यायालय ने दर्ज किया कि इस साक्षी का केस डायरी कथन न तो अभियोग पत्र में है और न ही केस डायरी में उपलब्ध है, जिसका अर्थ यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत इस साक्षी का कथन नहीं लिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. **राम लखन सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[1] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जो साक्षी विवेचना के दौरान कभी सामने नहीं आया, उसे कोई महत्व नहीं दी

[1] एआईआर 1977 एससी 1936

जा सकती क्योंकि वह पहली बार अपना बयान न्यायालय में दे रहा है और अभियुक्त प्रभावी रूप से प्रति-परीक्षण के अवसर से वंचित हो जाता है। निर्णय के कंडिका-37 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया हैं:-

> "37. यह सच है कि इस साक्षी के विरुद्ध किसी तरह की दुश्मनी या दुर्भावना नहीं बताया गया है, परंतु हम यह पते हैं कि इस साक्षी से पुलिस ने पूछताछ तक नहीं किया और न ही उसका उल्लेख अभियोग पत्र में किया गया। वर्तमान जैसे गंभीर आरोप में, ऐसे साक्षी पर भरोसा करना उचित नहीं होगा जो विवेचना के दौरान कभी सामने नहीं आया और जिसका नाम अभियोग पत्र में भी नहीं है। अभियुक्त, जिसको पुलिस को दिए गए उसके पूर्व बयान को जानने का अधिकार है, स्वाभाविक रूप से प्रभावी प्रति-परीक्षण के अवसर से वंचित हो जाता है तथा घटना के लगभग एक वर्ष पश्चात पहली बार न्यायालय में दिए गए बयान पर विश्वास करना मुश्किल होगा। इसलिए, हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि उच्च न्यायालय ने इस साक्षी के साक्ष्य को अन्य साक्षियों की बयानों की पुष्ट करने के लिए स्वीकार करके सही किया जिसके एकमात्र आधार पर शायद उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोषीसिद्ध ठहराने में संकोच महसूस किया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. विचारण न्यायालय ने इसके बाद मृतका के भाई, आ.सा.-11 शिव प्रकाश दुबे के साक्ष्य का अवलोकन किया है। प्रति-परीक्षण के कंडिका-1 में, वह कथन करता है कि वर्ष 1988 में अपीलार्थी की माँ और उसका छोटा भाई उनके घर आए थे और लकड़ी टाल खोलने के लिए 50,000/- रुपये की मांग की थी, हालांकि, अपीलार्थी की माँ और छोटे भाई को कोई पैसा नहीं दिया गया। कंडिका-2 में, वह कथन करता है कि मृतका की सास और ननद उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उसको पर्याप्त खाना भी नहीं देते हैं। वह पुनः कथन करता है कि लकड़ी टाल खोलने के लिए पैसे नहीं देने के कारण, उसकी सास और ननद उसे परेशान करते हैं। इस साक्षी के अनुसार, अभियुक्त 13-14 महीने बाद उनके घर आया और ढाबा खोलने के लिए उनसे 25-30,000/- रुपये की मांग की। हालांकि, उसकी माँ ने मात्र 5,000/- रुपये दिए। यदि इस साक्ष्य को विश्वसनीय माना भी जाता है, तब भी विवाह से 13-14 महीने के बाद की अवधि नवंबर-दिसम्बर, 1989 के

आस पास आता है, जो आ.सा.-1, मृतका की माँ के साक्ष्य की पुष्टि करता है, कि अपीलार्थी की माँ कुक्कुट पालन खोलने हेतु 35,000/- रुपये की मांग कर रही थी। बहरहाल, व्यवसाय शुरू करने की मांग नवंबर/दिसंबर, 1989 में की गई थी। प्रति-परीक्षण के कंडिका-5 में वह कथन करता है कि दिसम्बर,1991 में आत्महत्या करने का प्रयास करने के 4-5 महीने बाद उन्हें मृतका का एक पत्र मिला था। उक्त पत्र (प्र.-पी/5) दिनांक 12 मई, 1990 का है। 12 मई, 1990 के कुछ 10 दिन बाद, अपीलार्थी मृतका को लेने उनके घर आया था, और इसी दौरान उसने ट्रैक्टर की मरम्मत के लिए 15,000/- रुपये की मांग की थी, हालांकि उसे मात्र 5,000/- रुपये ही दिया गया। यदि इस साक्षी पर विश्वास किया जाता है, तो ट्रैक्टर बनाने हेतु 15,000/- की मांग मई/जून, 1990 में की गई थी। प्रति-परीक्षण के कंडिका-11 में, वह कथन करता है कि तीनों मौकों पर अपीलार्थी को उसकी माँ ने पैसे दिए थे, पहली बार कुक्कुट पालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए, दूसरी बार ढाबा शुरू करने के लिए और तीसरी बार ट्रैक्टर की मरम्मत के लिए, और प्रत्येक बार 5,000/- रुपया दिया गया था। साथ ही साथ, उसने कथन किया कि तीसरी बार बड़े भाई राम प्रकाश ने अपीलार्थी को पैसे दिए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उक्त बड़े भाई राम प्रकाश का आ.सा.-2 के रूप में परीक्षण किया गया है। इस साक्षी ने अपीलार्थी के पिता (मृतका के ससुर) द्वारा शादी के 8 दिन बाद सिलाई मशीन की मांग करने की एक अलग ही बात बताई है। इस साक्षी ने सास के उदासीन व्यवहार, व्यंग्यात्मक टिप्पणियों आदि की शिकायत की है। साक्ष्य के कंडिका-2 के उत्तरार्ध में, वह फिर से सिलाई मशीन की मांग की बात को दोहराता है। उसने अपीलार्थी पर शराब का सेवन करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि, अपने बयान की शुरुआत में, कंडिका-2 में, वह कहता है कि विवाह के समय अपीलार्थी के पिता की ओर से कोई मांग नहीं थी और उन्होंने कहा था कि "आप अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हैं।"

12. आ.सा.-2 राम प्रकाश (मृतका का बड़ा भाई) आगे कथन करता है कि अपीलार्थी को आखिरी बार 5,000/- रुपये की राशि उसकी बहन द्वारा बच्ची के जन्म देने के 13 महीने पहले दी गई थी। बच्ची का जन्म दिसंबर 1990 में हुआ था। इस तिथि से 13 महीने की अवधि फिर से नवंबर/दिसंबर, 1989 के आस पास आता है। अपने प्रति-परीक्षण के

कंडिका-10 में, वह कथन करता है कि आखिरी बार अर्थात नवंबर/दिसंबर, 1989 में पैसे की मांग करने के बाद, कोई और मांग नहीं की गई और सभी मौकों पर, मांग उसकी माँ से की गई थी, न कि उससे।

13. हालांकि, इस न्यायालय ने माँ आ.सा.-1 मिथिलेश बाई के साक्ष्य का अवलोकन किया है, जिसने कथन किया हैं कि उसने केवल एक बार 5,000/- रुपये दिए थे। अपने साक्ष्य के कंडिका-4 में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी बेटी का विवाह अपीलार्थी से इसलिए तय किया गया था क्योंकि उनके पति (मृतका के पिता) अपीलार्थी के परिवार से प्रभावित थे, क्योंकि एक संपन्न ब्राह्मण परिवार दहेज की कोई मांग किए बिना शादी के लिए तैयार था। वह अपनी प्रति-परीक्षण के इसी कंडिका में आगे कथन करती हैं कि जब उसके पति ने अपीलार्थी के पिता को बताया कि वह लंबे समय से बीमार हैं और उचित व्यवस्था नहीं कर सकते, तो अपीलार्थी के पिता ने कहा कि 'आप सिर्फ कन्यादान की व्यवस्था कर दीजिए और शादी आपकी इच्छा के अनुसार संपन्न हो जाएगी।'

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अब वापस आ.सा.-2 राम प्रकाश के साक्ष्य पर आते हैं। वह अपने प्रति-परीक्षण के कंडिका-10 में कथन करता है कि उसकी दिवंगत बहन ने कभी किसी राशि की मांग नहीं की, जिसका अर्थ यह है कि अपीलार्थी या ससुराल वालों में से किसी ने भी उसे अपने मायके से पैसे लाने के लिए कभी नहीं कहा था। उसने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी हमेशा कहता था कि यदि उसे कोई व्यवसाय करने के लिए कुछ राशि दी जाती है, तो यह उसके लिए अच्छा होगा। विवाह के तुरंत बाद सिलाई मशीन की मांग के संबंध में, वह स्वीकार करता है कि ऐसा कोई बयान उसकी केस डायरी के कथन में उपलब्ध नहीं है। यह साक्षी एक पुलिस आरक्षक है और अभियोजन पक्ष ने मृतका के दो पत्र इससे जब्त किए हैं। इस साक्षी ने अपनी प्रति-परीक्षण के कंडिका-14 में यह भी कथन किया है कि मृतका बहन को शादी के समय जो कुछ भी उपहार में दिया गया था, वह उन्होंने स्वयं दिया था, जिसका अर्थ यह है कि अपीलार्थी या उसके परिवार के सदस्यों की ओर से कोई मांग नहीं थी।

15. परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य साक्षियों के साक्ष्य की विवेचना करने के लिए इस न्यायालय ने आ.सा.-7 डी. एस. राठौर के साक्ष्य का अध्ययन किया है, जिसने यह

प्रमाणित किया है कि मृतका ने दिसंबर, 1991 में आत्महत्या करने का प्रयास किया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अंतर्गत अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था, परंतु, मृतका ने अपना बयान बदल दिया और कोई अपराध नहीं पाया गया और खात्मा प्रतिवेदन प्र.-पी/12 पेश किया गया।

16. आ.सा.-8 रमेश कुमार पड़ोसी है, जो मृतका के आत्महत्या करने के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंचा था। इस साक्षी ने बताया है कि दरवाजा खुलने के बाद जब अभियुक्त आया, तो उसने अभियुक्त से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, अभियुक्त ने कहा कि एक मामूली विवाद में ऐसा नहीं होना चाहिए था और रोने लगा। प्रति-परीक्षण में, उसने कथन किया है कि उसने अभियुक्त और मृतका के बीच कभी कोई झगड़ा होते हुए नहीं सुना।

17. अभिलेख में एक और साक्ष्य उपलब्ध है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। अभियोजन पक्ष ने मृतका द्वारा लिखे गए दो पत्र जब्त किए हैं, जिनमें से एक प्र.-पी/5 दिनांक 12-5-1990 है और दूसरा प्र.-पी/1 दिनांक 22 दिसंबर, 1992 है। दोनों पत्रों में दहेज की मांग का कोई भी जिक्र नहीं है। पहले पत्र (प्र.-पी/5) दिनांक 12-5-1990 को लिखा गया था और संभवतः इस समय तक वे परिवार से अलग रहने लगे थे। पत्र के पहले भाग में, वह लिखती हैं कि वे दिनांक 21-4-1990 को नए घर में चले गए हैं। इस पत्र के अंतिम भाग में, वह अपनी सास को "मोटी भैंस" (मोटी आकृति) कहकर संबोधित करती है। दूसरे पत्र (प्र.-पी/1) दिनांक 22-12-1992 में, वह अपने ससुराल के कुछ सदस्यों को 'कुतिया' कहती है, हालांकि, यहाँ भी दहेज की किसी भी मांग का कोई उल्लेख नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इस प्रकरण में एक और पहलू है, जो आ.सा.-2 राम प्रकाश के साक्ष्य से सामने आता है, जिसमें उसके प्रति-परीक्षण के कंडिका-15 और 16 में उसने कथन किया है कि उनकी मृत बहन को संदेह था कि अभियुक्त का रागिनी नाम की एक लड़की के साथ विवाहेतर संबंध था, जो पड़ोस में रहती थी और अक्सर उनके घर आती-जाती थी। हालांकि, मृतका के एक अन्य भाई, आ.सा.-11 शिव प्रकाश दुबे ने बयान दिया है कि अभियुक्त का रागिनी के साथ कोई संबंध नहीं था।

19. किसी भी स्थिति में, अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में विफल रहा है कि यही क्रूरता कारित करने या मृतका द्वारा आत्महत्या करने का कारण था।

20. दिए गए साक्ष्यों के आधार पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, यह न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित विधि का अवलोकन करेगा कि किन परिस्थितियों में यह कहा जा सकता है कि पति या उसके किसी रिश्तेदार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अंतर्गत अपराध किया है।

21. **सुनील बजाज बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[2] के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध पाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें पूरी होनी चाहिए:-

1. "किसी महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट के कारण हुई हो या अन्यथा सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थिति में हुई हो;
2. ऐसी मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो;
3. मृतका की मृत्यु के ठीक पहले उसपर उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न कारित किया गया हो;
4. ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होनी चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के कंडिका-10 में आगे अवधारित किया है कि मृतका के माता-पिता और भाइयों जैसे इच्छुक और प्रेरित साक्षियों के सामान्य, अस्पष्ट और असंगत बयानों के अलावा, दहेज की मांग या दहेज के लिए या दहेज के संबंध में मृतका पर क्रूरता कारित करने का कोई साक्ष्य नहीं है; 1991 में विवाह के समय दहेज की कोई मांग नहीं थी; मृतका द्वारा अपने पिता और भाई को लिखे गए पत्र में या उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले लिखे गए एक अन्य पत्र में दहेज की मांग के बारे में कोई शिकायत नहीं थी। आगे यह भी निष्कर्ष दिया गया कि अपीलार्थी (उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रकरण में) का आचरण, उसके द्वारा बुरे चरित्र वाली लड़कियों को अपने घर लाना और उन

[2] एआईआर 2001 सुप्रीम कोर्ट 3020

लड़कियों द्वारा मृतका को परेशान करना ही उसकी पीड़ा का कारण प्रतीत होता है। परंतु इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह मानसिक क्रूरता दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित थी। अंततः उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अंतर्गत लगाए गए आरोप से दोषमुक्त कर दिया।

23. **हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य**[3] के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय को इस बात पर विचार करने का अवसर मिला कि अपराध गठित करने के लिए मृतका पर **"मृत्यु से ठीक पहले"** क्रूरता या उत्पीड़न कारित करने का समय अंतराल क्या हो सकता है। उक्त प्रकरण में विवाह दिनांक 5-10-86 को हुआ था। मृतका ने दिनांक 23-4-88 को अपने माता-पिता के घर पर एक लड़के को जन्म दिया और दिनांक 26-7-88 को ससुराल में जहर से उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात बच्चे के जन्म के 4 महीने के भीतर। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभिलेख पर ऐसे साक्ष्य के अभाव में, जिससे यह दर्शित हो कि मृतका पर अप्रैल, 1988 से जुलाई, 1988 के बीच किसी प्रकार की क्रूरता या उत्पीड़न कारित किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता कि उसपर **"मृत्यु से ठीक पहले"** क्रूरता या उत्पीड़न कारित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. **अप्पासाहेब व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य**[4] के प्रकरण में यह निर्धारित किया गया है कि किसी आर्थिक तंगी के कारण या किसी अत्यावश्यक घरेलू खर्च के लिए या खाद खरीदने के लिए पैसे की मांग को दहेज की मांग नहीं कहा जा सकता, जैसा इस शब्द को सामान्य तौर पर समझा जाता है। उक्त प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने अंततः अभिनिर्धारित किया कि घरेलू खर्चों को पूरा करने और खाद खरीदने के लिए अभियुक्त द्वारा की गई मांग दहेज की मांग नहीं मानी जाएगी और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया।

25. **बिस्वजीत हल्दर उर्फ बाबू हल्दर व अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**[5] के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने, दहेज की मांग के संबंध में किसी भी प्रकार की क्रूरता या उत्पीड़न का कोई साक्ष्य न पाने के बाद, निर्धारित किया कि केवल क्रूरता और उत्पीड़न का साक्ष्य भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। आगे

[3] (2006) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस 463
[4] एआईआर 2007 सुप्रीम कोर्ट 763
[5] (2008) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस 202

यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष के लिए यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित थी। निर्णय की कंडिका-13 और 14 इस प्रकार हैं:-

> "13. यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख को साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख के साथ पढ़ा जाए, एक व्यापक तस्वीर सामने आती है कि यदि कोई विवाहित महिला अपनी शादी के 7 वर्ष के भीतर अपने वैवाहिक घर में अप्राकृतिक परिस्थितियों में मर जाती है, और ऐसी विवाहित महिला पर पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न के आरोप हैं, तब यह मामला स्पष्ट रूप से "दहेज हत्या" के अंतर्गत आएगा और पति और रिश्तेदारों के विरुद्ध उपधारणा की जाएगी।
>
> 14. इस प्रकरण में हम यह पते हैं कि इस बात का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि दहेज की मांग के संबंध में या उसके लिए किसी प्रकार की क्रूरता या उत्पीड़न कारित किया गया था। इस संबंध में कोई निष्कर्ष भी नहीं है। साक्ष्य की यह कमी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक साबित होती है। वैसे भी, सिर्फ क्रूरता और उत्पीड़न के साक्ष्य ही भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित करना होगा कि इस प्रकार की क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित थी। (देखें कांची कोमुरम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 1995 सप्लीमेन्ट (4) एससीसी 118) चूंकि अभियोजन पक्ष उस तथ्य को प्रमाणित करने में विफल रहा, इसलिए दर्ज दोषसिद्धि को स्थिर नहीं रखा जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. उच्चतम न्यायालय ने नारायणमूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य[6] (कंडिका-23 और 35), और तरसेम सिंह बनाम पंजाब राज्य[7], व सतवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य[8], कलियापेरुमल बनाम तमिल नाडु राज्य[9], कामेश पंजियार बनाम बिहार राज्य[10], और आंध्र

[6] (2008) 16 एससीसी 512
[7] (2008) 16 एससीसी 155
[8] (2001) 8 एससीसी 633
[9] (2004) 9 एससीसी 157
[10] (2005) 2 एससीसी 388

प्रदेश राज्य बनाम राज गोपाल असावा[11] के प्रकरणों में भी इसी प्रकार का सिद्धांत प्रतिपादित किया है।

27. वर्तमान प्रकरण में, इस न्यायालय द्वारा इस निर्णय के पूर्ववर्ती कंडिकाओं में प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्यात्मक परिदृश्य उभरता है:-

I. विवाह के समय दहेज की कोई मांग नहीं थी।

II. शादी के बाद दहेज, जैसा उस शब्द का अर्थ है, की कोई मांग नहीं हुई। जो भी मांग की गई, वह कुक्कुट पालन, लकड़ी की दुकान या ट्रैक्टर की मरम्मत के लिए थी।

III. मृतका की माँ, आ.सा.-1 का कहना है कि 5,000/- रुपये केवल एक बार नवंबर/दिसंबर, 1989 में दिए गए थे, जबकि विवाह जुलाई 1988 में हुआ था। वहीं आ.सा.-2 का कथन है कि 5,000/- रुपये प्रत्येक बार तीन मौकों पर उसकी माँ द्वारा दिए गए थे। हालांकि, वह भी यह कथन करता है कि आखिरी बार नवंबर/दिसंबर, 1989 में पैसा दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

IV. मृतका द्वारा दिनांक 12-5-1990 और 22-12-1992 को लिखे गए 2 पत्रों (प्र.-पी/5 और प्र.-पी/1) में दहेज की मांग का कोई जिक्र नहीं है। वास्तव में, इन पत्रों में किसी भी तरह की मांग का कोई जिक्र नहीं है। मृतका ने इन पत्रों में अपनी सास को 'मोटी भैंस' और 'कुतिया' कहकर संबोधित किया है।

V. कुक्कुट पालन का व्यवसाय शुरू करने, लकड़ी की टाल खोलने या ट्रैक्टर की मरम्मत कराने की मांग भी उसकी **मृत्यु के ठीक पहले** नहीं बल्कि उसकी मृत्यु से लगभग 3½ वर्ष पहले की गई थी।

28. उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत को लागू करते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर आती है कि अपीलार्थी या उसके परिवार के सदस्यों ने दहेज की कोई मांग नहीं की थी और इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अंतर्गत उसकी दोषसिद्धि को स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

---

[11] (2004) 4 एससीसी 470

29. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अंतर्गत अपीलार्थी के दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है और उसे उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है। उसका बंध पत्र उन्मोचित किया जाता है और उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।

सही/-

पी.के.मिश्रा

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Smriti Ekka

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur